न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–69/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी।

..... प्रतिवादीगण/अपीलांटान

बनाम

1. बाघसिंह पुत्र रामूसिंह जाति राजपूत निवासी नारायणपुर तहसील थानगाजी जिला अलवर राज0

..... वादी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.02.2020

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 वादी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) थानागाजी अलवर के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। जिरह गवाहान हेतु पैरोकार सरकार के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी रेस्पो0 दिनांक 21.02.2014 डिक्री कर दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करनी चाही। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014 को पारित की गई है मगर राजकार्य में व्यस्त होने की वजह से निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 07.04.2016 को प्राप्त की गई है। उक्त

समय को कण्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है व अपील को अंदर अवधि समाअत माना जावे।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वकील अपीलांट द्वारा देर से अपील पेश करने का समुचित कारण नही दिया गया है। अपील 02 वर्ष के बडे अन्तराल के बाद पेश की गई है। एवं इस समय के एक एक दिन का उचित कारण स्पष्ट नही किया है। अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज की जाकर अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । विवादित आराजी का विवरण दिया। अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1552 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील थानागाजी की बाबत वादी रेस्पो0 को दावा करने का कोई अधिकार नही था।क्योंकि आराजी चारागाह की है व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड हाल में वादी के पिता व वादी का नाम कृषक के रूप में दर्ज नही है। उक्त आराजी गै.मु. चारागाह है कि जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित है। भू प्रबंध विभाग द्वारा जो इन्द्राज बंदोबस्त के समय किया गया था व मौके के अनुसार सही किया गया था मगर तहत अदालत ने गौर नही किया। वादी रेस्पो0 ने अपने दावे में यह कहा है कि उसे उक्त इन्द्राज की जानकारी दिनांक 22.06.2007 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर हुई जबकि बंदोबस्त को हुये 16–17 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और अब तक वादी रेस्पो0 कैसे चुपचाप बैठा रहा जबकि उसे चारागाह की इन्द्राज की जानकारी भली भांति थी कि जिससे वादी रेस्पो0 का दावा गलत था। वादी रेस्पो0 का उक्त आराजी जो कि गैर मुमकिन चारागाह है पर कब्जा अनधिकृत है जबकि ऐसी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने का व उपयोग व उपभोग करने का कतई कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांटान को ना तो साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया और ना ही अपीलांटान की कोई बहस सुनी बल्कि एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निर्णय व डिक्री की तारीफ में नही आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आज्ञा व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 21.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी रेस्पो0 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1552रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा स्थित है।जिस पर वादी काबिज व दाखिल चला आता है। उपरोक्त हाल आराजी खसरा नंबर 1552 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 999 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से बना है।उपरोक्त विवादित आराजी वादी रेस्पो0 के पिता रामूसिंह पुत्र हरदानसिंह जाति राजपूत निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आती है।जिसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 तक में चला आता है। वादी के पिता रामूसिंह फौत हो चुका है। वादी कानून की जानकारी नही होने के अभाव में अपने पिता की विरासत का इंतकाल अपने नाम नही कराया और बिना किसी बाधा के उपरोक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा है।लेकिन दिनांक 22.06.2007 को वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये उपरोक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज होने की जानकारी वादी को हुई जबकि मौके पर विवादित

आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है।उपरोक्त आरांजी को बंदोबस्त कर्मचारियों ने चारागाह दर्ज कर दिया जो इन्द्राज कतई गलत है। वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसर नाकाबिले पाबंदी है। जिस इन्द्राज को वादी कलमजन कराकर दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2017 का अवलोकन किया।

मुख्य निर्णय से पूर्व धारा 5 अंतर्गत मियाद कानून पर आदेश किया जाना उचित है। यह सही है कि अपील दो वर्ष के बाद पेश की गई है, परन्तु उसमें जो कारण व्यक्त किए है एवं जो शपथपत्र पेश किए है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। माननीय न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद बिन्दु पर न्यायालयों को नरम रूख अपनाना चाहिए बशर्ते कि कोई असाधारण विलम्ब न हो। इस प्रकार यह भी दृष्टान्त है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना चाहिए, न कि तकनीकी गुणावगुण के आधार पर। अतः न्यायालय का यह विनम्र मत है कि धारा 5 लिमिटेशन एक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड (मिलान क्षेत्रफल) के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 1552 साबिक खसरा नंबर 999 से बने है। पत्रावली में सम्वत् 2012 से 2015 के पश्चात तथा सैटलमेंट सम्वत् 2028 की अवधि का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली पर प्राप्त नहीं है। वादी के पूर्वज रामसिंह विवादित आराजीयात पर काबिज थे या नहीं, ये सभी तथ्य विवादक की रचना और उन पर साक्ष्य व उनकी प्रतिपरीक्षा से ही प्रकट हो सकेगा।

जब सरकार पैरोकार द्वारा 21.10.2008 को जवाब दावा पेश किया जा चुका था, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 14 नियम 01 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता विवाद्यक की रचना कर नियम 02 के अन्तर्गत तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया, जो कि एक विधिक त्रुटि है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02. 2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहत अदालत में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवाद्यकों की रचना, साक्ष्य एवं उनका परीक्षण तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की

जावे। उभयपक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि तहत अदालत में सुनवाई हेतु 26.03.2020 को उपस्थित हो।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर